विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

मुख्य बिन्दु

- विद्युत क्षेत्र (गैस एवं पानी आपूर्ति सहित) की वर्ष 2020–21(A) में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 21,57,749 लाख रूपए अनुमानित है।
- राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता (नवंबर 2000) 1,360 मेगावाट से बढ़कर (अक्टूबर 2010 तक) 3,224.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 20 वर्षों में स्थापित क्षमता में 137% की अभिवृद्धि हुई है।
- वर्ष 2018–19 तक विगत 10 वर्षों तक निरंतर वितरण हानि में कमी परिलक्षित होती रही है।
- वर्ष 2019–20 में राज्य की वितरण हानि में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि कोविड–19 (Covid-19) महामारी के प्रभाव के कारण हुई है।
- सितंबर 2020 की स्थिति में राज्य के 19,567 ग्राम विद्युतीकृत हैं।
- वर्ष 2019–20 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 57 लाख 90 हजार है जो वर्ष 2018–19 की तुलना में 3.20 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2019–20 में विद्युत उपभोक्ताओं से राशि रू. 13,491.59 करोड़ राजस्व संग्रहण किया गया।
- वर्ष 2019–20 में 1,754 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया।
- मार्च 2020 की स्थिति में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 3,526 कि.मी., राज्य मार्ग 4,137 कि.मी., मुख्य जिला मार्ग 11,580 कि.मी. लंबाई के हैं।

विद्युत

11.1 आर्थिक विकास में विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। सम्पत्ति निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए ऑकड़ों से स्पष्ट होता है।

तालिका 11.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19(P)	2019-20(Q)	2020-21(A)
योगदान लाख रू. में	1150570	1446947	1696875	1902591	2072884	2178183	2157749
वृद्धि (प्रतिशत)	9.86	25.76	17.27	12.12	8.95	5.08	-0.94
हिस्सा (प्रतिशत)	6.57	8.03	8.72	9.51	9.50	9.51	9.57

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

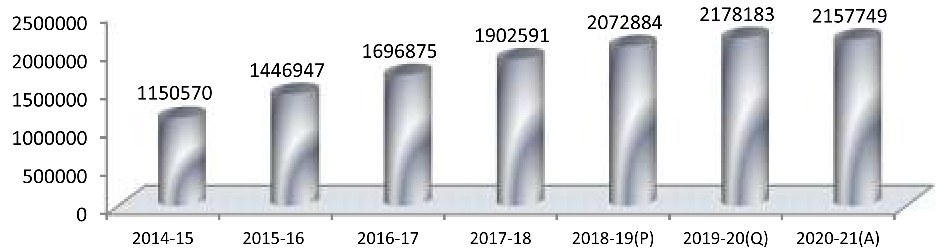

11.1.1 राज्य निर्माण के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केन्द्र बनने में लंबा सफर तय किया है। राज्य, देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

11.1.2 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31.10.2020 की स्थिति में 3080 मेगावाट तापीय, 138.70 मेगावाट जलीय, 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पा.) ऊर्जा स्त्रोत से कुल इस प्रकार 3,224.70 मेगावाट बिजली राज्य को प्राप्त होती है।

स्थापित क्षमता में अधिकांश बढ़ोत्तरी निजी (तापीय) क्षेत्र में हो रही है। राज्य की स्वयं की तापीय एवं जलीय विद्युत क्षमता पिछले 20 वर्ष में लगातार बढ़कर अक्टूबर 2020 की स्थिति में 3,224.70 मेगावाट हो गई है।

उपरोक्त बिजली के उत्पादन एवं प्लांट लोड फेक्टर का विवरण तालिका 11.3 में दर्शाया गया है (25 मेगावाट से कम राज्य के विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं) :–

तालिका11.2 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता						
क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (MU)			पी.एल.एफ. प्रतिशत	
		अप्रैल 19 से सितंबर 19	अप्रैल 20 से सितंबर 20	अंतर प्रति. (%)	अप्रैल 19 से सितंबर 19	अप्रैल 20 से सितंबर 20
राज्यीय	तापीय	9590.265	9538.472	–0.54	70.90	70.51
	जल विद्युत	164.137	324.188	97.59		

11.2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. :–विगत् वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

(I) **उत्पादन संकाय** :–

(1) **विद्युत उत्पादन कीस्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन** :– मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 20 वर्षों में अर्थात अक्टूबर 2020 के अंत तक बढ़कर 3,224.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 3,080 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पा.) की स्थापित क्षमता है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 18,489.094 मिलियन यूनिट (तापीय 18,212.341 जलीय 269. 176 एवं अन्य सह–उत्पादन 7.577 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया।

तालिका क. 11.3 वर्षवार उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा खपत								
वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	1924.70	2424.40	2424.70	2924.70	3424.70	3424.70	3224.70	3224.70
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	12465.99	12863.54	15931.29	15603.92	18097.43	21084.17	21552.40	18489.09
खपत (मिलियन यूनिट)	14200.41	14789.25	17101.40	18600.63	19162.00	20303.23	22284.19	22793.08

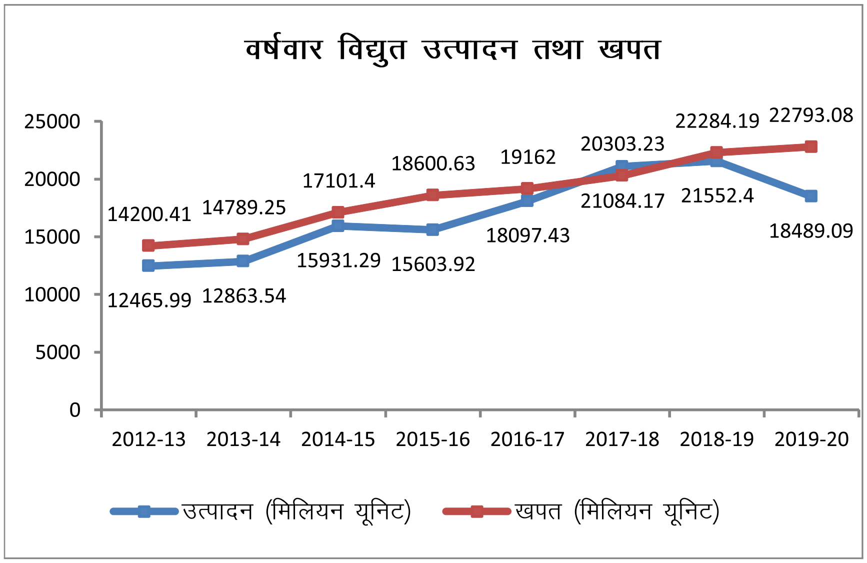

तालिका 11.4 खपत उपलब्धियाँ		
विविध	वर्ष	उपलब्धियां
संयंत्र विद्युत खपत	2018–19	7.40 प्रतिशत
संयंत्र विद्युत खपत	2019–20	7.83 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2018–19	74.05 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2019–20	67.31 प्रतिशत
विशिष्ट तेल खपत	2018–19	0.551 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट तेल खपत	2019–20	0.522 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2019–20	0.720 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2018–19	0.697 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई

तालिका 11.5 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन			
क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	कोरबाताप विद्युत गृह कोरबा (पूर्व)		
	कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक –III	2 X 120 =240	1976, 1981
2	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	2 X 250=500	2007
3	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	4 X 210=840	1983 से 1986
4	कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र	1X 500=500	2013
5	मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह, जांजगीर–चांपा	2X 500=1000	2016
6	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	1 X 6 =6	2006
II	**जल विद्युत गृह** –		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगोजल विद्युत गृह	3 X 40=120	1994,1995
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 X 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सिकासार	2X 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 X 0.85=1.70	2003,2009
	योग	3224.70 MW	

11.2.1 विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ वर्ष 2019–20 :–

छत्तीसगढराज्य गठन के समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 20 वर्षो में बढ़कर 3,424.70 मेगावाट हो गयी (इस वर्ष 200 मेगावाट कम होने के बाद विद्युत उत्पादन क्षमता 3,224.70 है)। इस प्रकार स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता में 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्तमान में कंपनी के विद्युत उत्पादन क्षमता (3,224.70 मेगावाट) में 3,080 मेगावाट तापीय एवं 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य सह–उत्पादन शामिल है।

- वित्तीय वर्ष 2019–20 वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल 18,489.094 मिलियन यूनिट (तापीय 18,212.341 मिलियन यूनिट PLF 67.31% जलीय 269.176 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 7.577 मिलियन यूनिट) हुआ।

- चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में 31 अक्टूबर 2020 तक छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के विभिन्न संयंत्रो द्वारा कुल 11,439.936 मिलियन यूनिट (तापीय 11,070.109 मिलियन यूनिट PLF 69.98% जलीय 368.89 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 0.937 मिलियन यूनिट) विद्युत उत्पादन किया गया है।

- कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–III कोयला खण्ड (कोल ब्लॉक), जिला रायगढ़ छ.ग.स्टे.पा.जन.कं.लिमि. को आबंटित किया गया। कोयला उत्खनन का कार्य दिनांक 06.12.2019 से प्रारंभ होकर (2X500 मेगावाट) अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, जांजगीर–चांपा में कोयले की आपूर्ति दिनांक 24.03.2020 से की जा रही है तथा 31 अक्टूबर 2020 तक लगभग 8,63,881.37 मिट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की जा चुकी है।

- हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में लॉन्ग डिस्टेन्स कोल कंवेयर (LDCC) के माध्यम द्वारा एस.ई.सी.एल. के 20,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नये कोल बंकर से कोयले की आपूर्ति दिनांक 24.12.2019 से प्रारंभ की गई।

- (2X250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह इकाई क्रमांक 01 ने 100.79% प्लांट उपलब्धता घटक व 89.49% PLF के साथ 166 दिन तक निरंतर इकाई चालने का कीर्तिमान प्राप्त किया है जो कि इस इकाई का सर्वकालिक अधिकतम है।

- (3X40 मेगावाट) मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह अगस्त 2020 में सर्वकालिक अधिकतम विद्युत उत्पादन 87.74 मिलियन यूनिट किया गया है।

11.2.2 राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि :–

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सेक्टर के 33 विद्युत गृहों का औसत PLF वित्तीय वर्ष 2019–20 में 50.26% रहा, वहीं छ.ग.स्टे.पा.जन.कं.लिमिटेड 67.31% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में तृतीय स्थान पर रहा।

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में देश के 250 ताप विद्युत गृहों में (2X250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को आठवां सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह होने का गौरव प्राप्त हुआ।

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में स्टेट सेक्टर के विद्युत गृहों का औसत PLF 40.65% रहा, वहीं छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. 69.98% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में प्रथम स्थान पर रहा है।

11.2.3 ऑक्जिलरी खपत – ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऑक्जिलरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत, ऑक्जिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 7.83 प्रतिशत रही ।

11.2.4 प्रदत्त विद्युत :—वित्त वर्ष 2019—20 के दौरान ताप, जल एवं अन्य सह—उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 17,060.387 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 16,786.524 मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा 267.928 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह—उत्पादन) द्वारा 5.935 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

11.2.5 ईंधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत (2019—20) :—वित्त वर्ष 2019—20 के दौरान ताप विद्युत गृहों की ईंधन खपत का विवरण सारणी अनुसार है।

तालिका 11.6 विद्युत संयंत्र में ईंधन खपत

विद्युत गृह का नाम	विशिष्ट ईंधन खपत	
	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
1. कोरबाताप विद्युत गृह कोरबा(पूर्व)		
कोरबा पूर्व विद्युत गृह	0.807	1.204
2. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व	0.691	0.169
3. हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम		
विद्युत गृह—1	0.745	0.737
विद्युत गृह—2	0.622	0.536
कोरबा पश्चिम संकुल	0.741	0.580
4. कोरबा पश्चिम विस्तार (इकाई क्र—5)	0.679	0.526
5. अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा, जांजगीर—चांपा	0.727	0.555

11.3 पारेषण की उपलब्धि :—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित वर्ष 2019—20 के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, गए जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

11.3.1 उपकेन्द्र निर्माण :—वर्ष 2019—20 के अंत में उच्चदाब उपकेन्द्रों की कुल संख्या 121 तथा इनकी संयुक्त क्षमता 19,409 एम0 व्ही0 ए0 हो गई, जो वर्ष 2000 में क्रमशः 27 एवं 3,795 एम.व्ही.ए. थी।

तालिका 11.7 वर्षवार कंपनी द्वारा उपकेन्द्र की वोल्टेज वार जानकारी

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		वर्ष 2019—20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 19 की स्थिति में)	वर्ष 2019—20 (अप्रैल 2019 से मार्च 20 की स्थिति में)	वर्ष 2020—21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 20 की स्थिति में)
1	400 / 220 के0व्ही0 उपकेन्द्र	3	4	4
2	220 / 132 के0व्ही0 उपकेन्द्र	25	25	25
3	132 / 33 के0व्ही0 उपकेन्द्र	92	92	92
	योग	**120**	**121**	**121**

11.3.2. विद्युत लाईनों का निर्माण:—वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब की कुल लाईनें 5,205.46 सर्किट कि0मी0 थी, जो कि 20 वर्षो में बढ़कर वर्ष 2019—20 में 12,750 सर्किट कि0मी0 हो गई हैं।

तालिका 11.8 राज्य में वर्षवार विद्युत लाईनों का विवरण					
क्र.	वोल्टेज अनुपात	अति उच्चदाब लाईनें (सर्किट कि.मी.)			
		31 मार्च 2019 की स्थिति में	वर्ष 2019—20 में वृद्धि	31 मार्च 2020 की स्थिति में	सितम्बर 2020 की स्थिति में
1	400 के वी लाईनें	1916	0	1916	1918
2	220 के वी लाईनें	3794	238	4032	4032
3	132 के वी लाईनें	6657	145	6802	6874
योग		**12367**	**383**	**12750**	**12824**

11.4 वितरण कंपनी की उपलब्धि :—छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2019—20 एवं 2020—21 (सितंबर 20) के दौरान उप—पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :—

11.4.1. उपकेन्द्र निर्माण :—छ.रा.वि.मंडल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29,940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2,984 एम.व्ही.ए थी। विगत 20 वर्षो में उपकेन्द्रों की संख्या बढ़कर वर्ष 2019—20 के अंत में कुल 1,82,005 हो गयें है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 18,834 एम.व्ही.ए हो गई है, जो कि 20 वर्षो के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 508 प्रतिशत तथा उनकी क्षमता में 531 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में संयुक्त क्षमता 18,840 एम.व्ही.ए. एवं संख्या 1,85,763 हो गई है।

तालिका क. 11.9 उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात जानकारी				
क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		वर्ष 2019—20 सितं.2019 तक	वर्ष 2019—20 में मार्च 2020 तक	वर्ष 2020—21 में सितं. 2020 तक
1	33 / 11 के.व्ही.उपकेन्द्र	1267	1314	1315
2	11 / 0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	173166	180691	184448
	योग :—	**174433**	**182005**	**185763**

11.4.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :—

छ.रा.वि. मण्डल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनों की लंबाई 98,858 कि.मी. थी, जो 20 वर्षो में बढ़कर वर्ष 2019—20 तक 3,38,879 कि.मी. एवं 30.09.2020 की स्थिति में 3,39,567 कि.मी. हो गई है।

वितरण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2019—20 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 14,692 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों का निर्माण किया गया जिससे वर्ष 2019—20 के अंत तक विद्युत लाइन की लंबाई कुल 3,38,879 कि.मी. हो गई थीं। इस प्रकार वर्षावधि में विद्युत लाईनों की लंबाई में 4.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कंपनी गठन से 20 वर्षो की कार्यावधि में 242 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका क. 11.10 विद्युत लाईनों का निर्माण				
क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	वर्ष 2019–20 में सितं. 2019 तक	वर्ष 2019–20 में मार्च 2020 की स्थिति	वर्ष 2020–21 में सितं. 2020 की स्थिति
I	उच्चदाब लाईनें			
1	33 के.व्ही. लाईने	22277	22898	22925
2	11 के.व्ही. लाईने	112075	116872	116974
	कुल उच्चदाब लाईने	**134352**	**139770**	**139899**
II	निम्नदाब लाईने			
3	400–230 वोल्ट्स	181243	199109	199668
	महायोग	**308943**	**338879**	**339567**

11.4.3. वितरण हानि :–वर्ष 2019–20 में वितरण हानि का प्रतिशत 16.91 रहा। जो कि वर्ष 2018–19 के अपेक्षा 0.31 प्रतिशत ज्यादा रहा। वर्ष 2018–19 तक विगत 10 वर्षों तक निरंतर वितरण हानि में कमी परिलक्षित होती रही है। वर्ष 2019–20 में राज्य की वितरण हानि में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि कोविड–19 (Covid-19) महामारी के प्रभाव के कारण हुई है। वर्ष 2020–21 में वितरण हानि 14.72 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है जिसके प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है। वितरण हानि का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क. 11.11 वर्षवार वितरण हानि					
क्र.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	खपत (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि प्रतिशत में
1	2009-10	16512.28	11311.39	5200.89	31.50
2	2010-11	17435.98	12137.84	5898.14	30.39
3	2011-12	18325.03	13173.00	5152.03	28.11
4	2012-13	19124.00	14200.41	4923.59	25.74
5	2013-14	19553.25	14789.25	4764.00	24.36
6	2014-15	21966.91	17101.40	4866.00	22.15
7	2015-16	23702.45	18600.63	5101.82	21.53
8	2016-17	23530.00	19162.00	4368.00	18.56
9	2017-18	24787.00	20303.23	4483.68	18.08
10	2018-19	26716.90	22284.19	4434.71	16.60
11	2019-20	27892.57	23175.79	4716.78	16.91

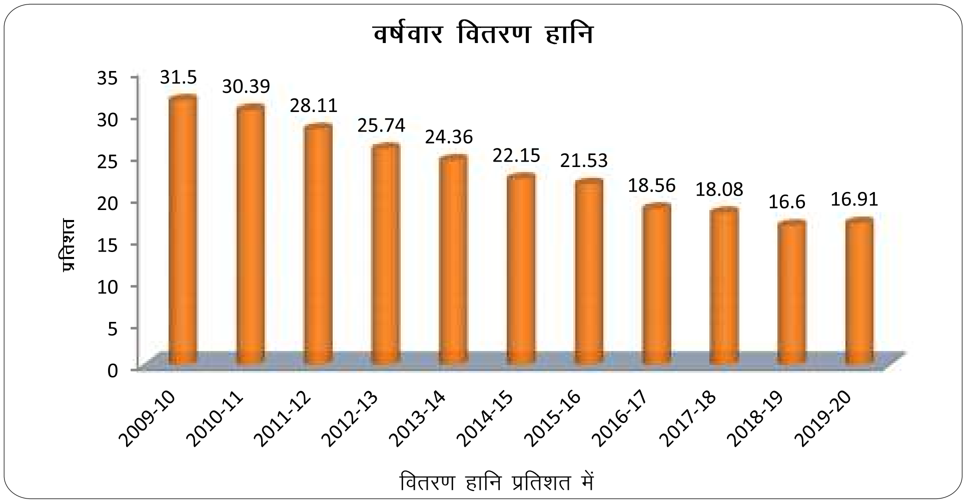

11.4.4. सामान्य विकास कार्य :–

छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

तालिका क्र 11.12 सामान्य विकास कार्य उपलब्धि

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि (2019–20) दिनांक 30.09.2019	उपलब्धि (2019–20) 31–03–20	उपलब्धि (2020–21) दिनांक 30.09.2020
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	0	3	0
2	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	27	74	12
3	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी	251	796	138
4	नये विद्युत कनेक्शन के लिए निम्नदाब लाईन	कि.मी	676+22 (कनवर्सन)	2387+95 (कनवर्सन)	239+27 (कनवर्सन)
5	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1160	2933	590
6	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	137	393	79
7	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	**80568**	**145061**	**48936**
i)	सिंगल फेस	संख्या	62676	108156	35782
ii)	थ्री फेस	संख्या	17787	36685	13126
8	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	105	220	28

11.5 मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना (एस.टी.एन) :– प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु इस योजना के अंतर्गत 204 नये उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। योजना में 204 नये 33/11 के.व्ही. विद्युत सब–स्टेशन की स्थापना के साथ–साथ इस हेतु आवश्यक विद्युत लाईनों के विस्तार एवं विद्यमान 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के कार्य सम्मिलित है। योजना अंतर्गत स्वीकृत 33/11 के.व्ही. के 204 उपकेन्द्रों में से दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में 196 नये 33/11 के.व्ही. विद्युत सब–स्टेशन 121 अति.पावर ट्रांसफारर्मर एवं 133, 33/11 के.व्ही उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष 08 उपकेन्द्रों में से 04 उपकेन्द्रों में वन बाधा है एवं 04 उपकेन्द्रों के कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2020 तक रुपये 20.83 करोड़ व्यय किया गया है।

11.6 ग्राम विद्युतीकरण :– जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19,567 ग्रामों में से वर्ष 2019–20 के अंत तक 19,567 (18,626 परंपरागत तरीके से + 941 अपरंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा) ग्राम विद्युतीकृत थे। राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 100 प्रतिशत रहा। इस प्रकार दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में प्रदेश में कुल 19,567 आबाद ग्रामों में से विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 19,567 अर्थात सभी 19,567 (100 प्रतिशत) ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

11.7 पंपों का ऊर्जीकरण :– राज्य गठन के पूर्व राज्य में मात्र 73,369 कृषि पंप विद्यमान थे, जबकि राज्य गठन के पश्चात 18 वर्षों की अवधि में दिनांक 30–09–2020 की स्थिति में 3,74,377 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शनों का उर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 4,47,676 कृषि पंप उर्जीकृत हो गए हैं। वर्ष 2020–21 में सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। शासन से प्रावधानित बजट की राशि की मिलने की प्रत्याशा में वर्ष 2020–21 में दिनांक 30.09.2020 तक रुपये 53.57 करोड़ व्यय किया गया है।

11.8 कृषक जीवन ज्योति योजना :– राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7,500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। उपरोक्त छूट अस्थाई कृषि पम्पों पर भी दी जाती है। नवम्बर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100/ प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की दर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लेट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिचांई पम्पों पर बिना पम्प की क्षमता के सीमा के उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत किसानों को 5 अश्व शक्ति तक द्वितीय पम्पं के लिए रू. 200/– अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पम्पं के लिए रू. 200/– अश्वशक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति एवं 5 अश्व शक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए रू. 300/– अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2020–21 हेतु रू. 2,300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में योजना के अंतर्गत लगभग 5.49 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

11.9 बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन :– गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत पर कोई शुल्क नहीं है। इन बी.पी.एल. कनेक्शन धारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को रू. 100/– मासिक की दर से फ्लेट रेट पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में तक कुल बीपीएल कनेक्शन की संख्या 19,40,151 (सौभाग्य योजना के तहत् दी गई बीपीएल कनेक्शन भी सम्मिलित) है, जिन्हें वितरण कंपनी द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन बी0पी0एल0 कनेक्शनधारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020–21 हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.10 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना :– मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनो का विस्तार, विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित /उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना, तंग गलियों एवं व्यस्तम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का इस्तेमाल किया जाना, अधिक लाईन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। वर्ष 2020–21 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रू. 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2020 तक रुपये 10.20 करोड़ व्यय किया गया है।

11.11 मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना :– इस योजना के अंतर्गत ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे/टोले/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो राज्य में चल रही किसी अन्य योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल नहीं है, इसके अतिरिक्त इन ग्रामों/मजरे–टोले/बसाहटों के बी.पी.एल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान भी किया जा रहा है। यदि बसाहटों में कुछ अतिरिक्त लाईन विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो यह कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत रू. 22.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2020 तक रुपये 16.24 करोड़ व्यय किया गया है।

11.12 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) :– भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ओ.एम. क्रं. 26/ 1/2014–APDRP दिनांक 03.12.2014 के द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, सोलर पैनल की स्थापना, वितरण ट्रान्सफार्मर/11 के. व्ही. फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई टी. उपयोग को उपयोगी बनाने के कार्य किये जाने हैं। दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में स्वीकृत 32 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के कार्य पूर्ण किया जा चुके है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2020 तक रुपये 46.85 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका 11.13 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.)

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक	उपलब्धि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक	उपलब्धि अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020
1	2	3	4	5	6
1	व्यय	रू. करोड़ में	33.59	70.76	46.85
2	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	23	32	0
3	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	173.42	192.27	10.3
4	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	443.03	514.18	33.7
	वितरण हानि कम करने हेतु एल.टी. केबल योजना				
1	व्यय	रू. करोड़ में	0	22.86	36.31
2	निम्नदाब लाईन	कि.मी.	0	885.58	1079.49

एकीकृत विद्युत विकास योजना(I.P.D.S., IT) :– भारत सरकार ने पांच हजार से अधिक आबादी वाले छत्तीसगढ़ राज्य के 182 शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली के विस्तार हेतु रूपये 65.54 करोड़ लागत की आई.पी.डी.एस.(सूचना प्रोद्यौगिकी) योजना स्वीकृत की गई है। पावर फाईनेंस कारपोरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना लागत का 60 प्रतिशत भारत शासन के द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा, सी.एस.पी.डी.सी.एल. 10 प्रतिशत का वहन करेगा, शेष 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में लिया जायेगा।

11.13 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.) :- योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 24 घण्टे अबाधित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु फीडर पृथक्करण का कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही

भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृणीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किये जा सके। योजना में अविद्युतीकृत ग्राम/मजरा–टोला के कार्य भी शामिल हैं। इस हेतु भारत सरकार द्वारा रू. 1,247.74 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सम्मिलित 80 नये 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्रों की स्थापना की चुकी है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2020 तक रुपये 67.99 करोड़ व्यय किए गए हैं।

तालिका 11.14 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक	उपलब्धि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक	उपलब्धि अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020
1	व्यय	रू. करोड़ में	52.6	194.17	67.99
2	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	11	16	0
3	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि	संख्या	14	21	0
4	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	71.77	95.29	50.79
5	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	147.07	153.66	156.92
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	668	1539	1912
7	निम्नदाब लाईन	कि.मी.	75.34	121.58	496.98

11.14 घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत (हाफ बिजली बिल स्कीम) :– राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओ को 01 मार्च 2019 से प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आंकलित बिल की राशि को आधा करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत राज्य के समस्त बी.पी.एल. एवं अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इस हेतु राज्य शासन के बजट में वर्ष 2020–21 में रू. 850.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को उसके 400 यूनिट तक के खपत पर प्रभावशील दरों के अनुसार बिल की राशि में आधी राशि की छूट के उपरांत बिल जारी किया जा रहा है। बिल माह अगस्त 2020 तक राज्य के लगभग 38.25 लाख उपभोक्ताओं को रूपये 432.15 करोड़ की छूट योजना के अंतर्गत दी जा चुकी है।

11.15 विद्युत उपभोक्ता :– वर्ष 2019–20 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 57 लाख 90 हजार है जो वर्ष 2018–19 की तुलना में 3.20 प्रतिशत अधिक है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2019–20 के अंत में बी.पी.एल. 33.50 प्रतिशत, घरेलू 50.12 प्रतिशत, गैर घरेलू 5.92 प्रतिशत, औद्योगिक श्रेणी 0.60 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं 9.41 प्रतिशत रहे।

11.16 विद्युत उपभोग का स्वरूप :– वर्ष 2019–20 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 22,793.08 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2018–19 की खपत से 2.62 प्रतिशत अधिक है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली में से 24.59 प्रतिशत घरेलू, 6.85 प्रतिशत गैर घरेलू, 44.21 प्रतिशत औद्योगिक, 22.31 प्रतिशत कृषि एवं 2.03 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकर एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। कुल खपत में से वर्ष 2019–20 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की

खपत 8.78 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पम्प उपभोक्ताओं की खपत 22.31 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2018–19 में क्रमशः 5.37 एवं 22.69 प्रतिशत थी।

तालिका 11.15 राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण

वर्ष	विवरण	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	कृषि	सार्वजनिक
2015–16	कुल विक्रय (प्रतिशत)	26.26	12.34	37.65	21.82	1.93
	ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.69	7.08	33.98	37.92	2.23
2016–17	कुल विक्रय (प्रतिशत)	25.77	7.56	42.22	22.39	2.06
	ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.89	4.60	36.28	38.42	1.81
2017–18	कुल विक्रय (प्रतिशत)	24.60	7.15	42.00	23.88	2.45
2018–19	कुल विक्रय (प्रतिशत)	23.48	6.67	45.11	22.69	2.05
2019–20	कुल विक्रय (प्रतिशत)	24.59	6.85	44.21	22.31	2.00

राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रेणीवार उपभोक्ताओं के विद्युत दर समान है, अतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपभोग की गणना पृथक–पृथक नहीं की गई है।

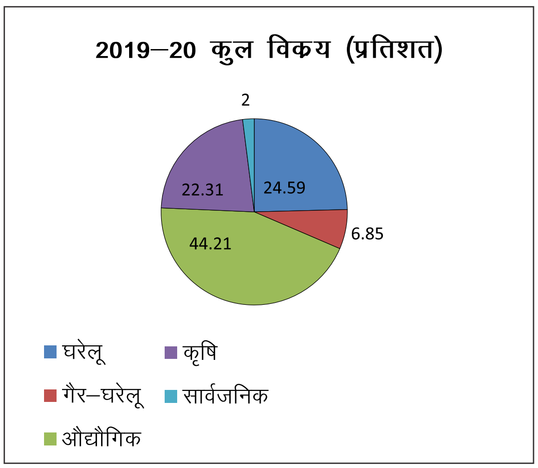

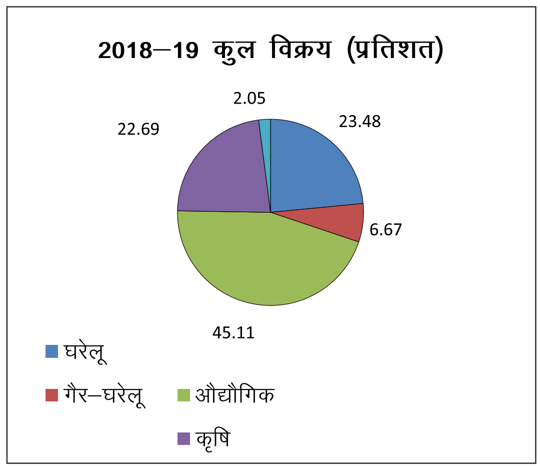

11.17 राजस्व संग्रहण :– वर्ष 2019–20 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध कुल रू. 13,491.59 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जो कि वर्ष 2018–19 में रू. 13,174.90 करोड़ था।

11.18 बकाया राशि :– वर्ष 2019–20 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 3,042.10 करोड़ है, जिसमें 1,469.03 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 1,573.07 करोड़ रूपये उच्च्दाब उपभोक्ता पर बकाया है। जबकि वर्ष 2018–19 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 4,844.66 करोड़ थी, जिसमें 1,050.51 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 3,794.15 करोड़ रूपये उच्च्दाब उपभोक्ता पर बकाया थी।

कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रू. 129.15 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों (स्थानीय निकाय) पर रूपये 471.87 करोड़ एवं रूपये 1,139.29 करोड़ राशि रेल्वे के विरूद्ध बकाया है। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। रेल्वे के विरूद्ध बकाया राशि विवादित है।

तालिका कमांक 11.16 बकाया राशि								(करोड़ में)
वर्ष	बकाया राशि				कुल	दाब अनुसार उपभोक्ता का प्रकार बकाया राशि		कुल
	राज्य	सार्वजनिक	रेल्वे	अन्य		निम्न दाब	उच्च दाब	
2012–13	7.23	42.00	2106.34	433.09	2588.66	323.33	2265.33	2588.66
2013–14	27.00	45.00	2360.96	474.73	2907.69	323.13	2584.54	2907.69
2014–15	18.00	5.34	2610.23	631.68	3265.25	323.67	2941.58	3265.25
2015–16	1.56	16.03	2777.55	633.06	3428.20	391.25	3036.95	3428.20
2016–17	37.00	123.24	2968.92	460.67	3976.68	620.91	3355.77	3976.68
2017–18	35.72	118.61	3203.23	903.49	4261.05	753.94	3507.11	4261.05
2018–19	96.79	237.44	3405.27	1105.16	4844.66	1050.51	3794.15	4844.66
2019–20	129.15	471.87	1131.29	1309.79	3042.10	1469.03	1573.07	3042.10

11.19 मुख्यमंत्री एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना :– राज्य में बीपीएल एवं एपीएल विद्युत उपभोक्ताओं को एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना का क्रियान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा छ.रा.वि.वि.कं. के सहयोग से प्रारंभ किया गया। अद्यतन राज्य में कुल 107.79 लाख बल्ब वितरित किये जा चुके हैं।

नेशनल उजाला डेशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में एलईडी बल्ब के उपयोग के परिणाम स्वरूप लगभग 280 मेगावाट कमी आईएवं 11,33,863 टन कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष कम होने का आंकलन किया गया है।

परिवहन एवं संचार

11.20 देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवनयापन हेतु रोजी–रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाऐं प्राप्त कर सकें। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्वि हेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन (मोबाइल सहित) तथा ब्राडबेंड (इंटरनेट सहित) सेवाएं आदि प्रमुख हैं।

11.20.1 परिवहन क्षेत्र का योगदान तालिका में निम्नानुसार प्रदर्शित है:–

तालिका 11.17 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में परिवहन (रेल के अलावा) क्षेत्र का योगदान (आधार वर्ष 2011–12)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19(P)	2019-20(Q)	2020-21(A)
भागीदारी (लाख में)	373159	407899	437572	471786	509160	538506	544214
वृद्धि (प्रतिशत)	9.85	9.31	7.27	7.82	7.92	5.76	1.06
हिस्सा (प्रतिशत)	2.13	2.26	2.25	2.36	2.33	2.35	2.41

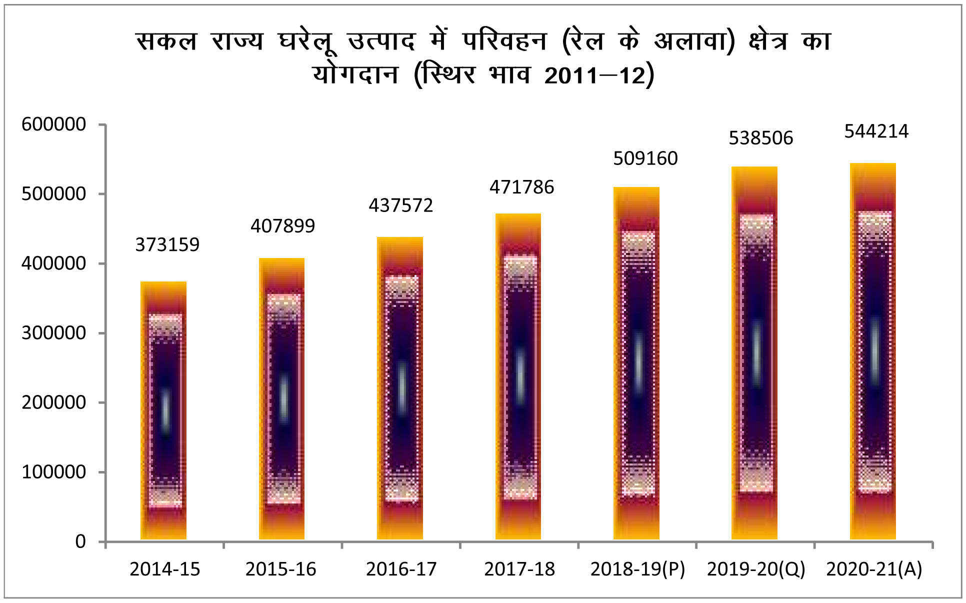

11.21 भूतल परिवहन :–

11.21.1 सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़कों के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2019–20 में 1,754 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं

उन्नयन जिसमें गिट्टीकरण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य किये गये। 02 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज, 50 वृहद पुल एवं 31 मध्यम पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है और 05 रेल्वे ओव्हर ब्रिज/अण्डर ब्रिज एवं 113 नग वृहद पुल प्रगति पर रहे। वर्ष 2019–20 में कुल राशि रू. 6,265.48 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू 3,877.92 करोड़ व्यय किया गया।

वर्ष 2020–21 में माह 09/2020 तक 667 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। 04 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज, 16 वृहद पुल, 10 मध्यम पुल पूर्ण तथा 10 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज का निर्माण एवं 131 वृहद पुल कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 में रू. 6,410.03 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध माह 09/2020 तक रू. 1,102.31 करोड़ का व्यय किया गया है।

11.21.2 छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से द्वितीय लोन सभी 14 मार्ग (लंबाई 855 कि.मी.) पूर्ण हो गये हैं। तृतीय लोन अंतर्गत 25 मार्ग (लम्बाई 869 कि.मी.) हेतु रू. 3,535 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। इनमें से 24 कार्य प्रगति पर तथा 1 कार्य निविदा स्तर पर है।

11.21.3 बायपास मार्ग के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 01 कार्य पूर्ण एवं 09 बायपास मार्ग प्रगति पर थे। वर्ष 2020–21 में 09 बायपास मार्ग प्रगति पर है।

11.21.4 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 02 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज कार्य पूर्ण एवं 05 कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2020–21 में 03 रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं 01 अंडर ब्रिज का कार्य पूर्ण हुआ है तथा 10 रेल्वे ओव्हर/अंडर ब्रिज के कार्य प्रगति पर हैं।

11.21.5 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य को 96 कार्यो हेतु कुल रू. 2,214 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें से अभी तक कुल 73 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 26 कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यो पर वर्ष 2019–20 में माह 03/2020 तक रू. 1,473 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

वर्ष 2020–21 में कुल 75 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 24 कार्य प्रगति पर हैं। इस कार्यों पर राशि रू. 1,524 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

11.21.6 एल.डब्ल्यू.ई. योजनातंर्गत केन्द्र शासन से 54 कार्यो के लिये रू. 3,171 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें से 37 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 17 कार्य प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनेक सार्वजनिक उपयोग के भवन तथा शासकीय चिकित्सालय, शाला, कॉलेज, पंचायत सार्वजनिक भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवन एवं अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन, सार्वजनिक स्थल यथा हाट–बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल, धान संग्रहण केन्द्र जैसे अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के केन्द्र होने के बावजूद मुख्य मार्ग से बारहमासी मार्ग नहीं होने के कारण जनसामान्य को असुविधा होती है। अतः ऐसे सभी सार्वजनिक स्थल तथा भवन को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लोक निर्माण विभाग द्वारा बारहमासी पहुंच मार्ग का निर्माण कर संबंद्ध किया जाना है। उक्त प्रयोजन के लिए ''मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना'' प्रारंभ की गई है।

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को बारहमासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जनसुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में ''मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना'' के अंतर्गत कुल 2,195 मार्गों की लम्बाई 357.13 कि.मी. लागत राशि रुपये 255.47 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भवन कार्यो के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस राजस्व तथा अन्य विभागों के लिये आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 205 भवन कार्य पूर्ण किये गये थे तथा 340 भवन कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो हेतु वर्ष 2019–20 में रू. 816.01 करोड़ के आंबटन के विरूद्ध रू. 317.07 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यो पर माह 09/2020 तक रू. 1,085.80 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू. 140.42 करोड़ व्यय किया गया है। इस वर्ष अब तक 58 भवन कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं 423 कार्य प्रगति पर हैं।

सड़कों की लम्बाई 03/2020 की स्थिति में

• राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई	–	3526 कि.मी.
• राज्य मार्ग की लम्बाई	–	4137 कि.मी.
• मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई	–	11580 कि.मी.
• ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लम्बाई	–	13780 कि.मी.
योग	–	**33023 कि.मी.**

11.22 वाहन :– वर्ष 2019–20 माह सितंबर 19 तक 2,85,488 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 20) तक 6,16,934 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2020–21 में माह सितंबर 20 तक 1,26,064 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।